BA PART –I (Hons.) & (Sub.), Paper- I

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

समानता(Equality)

हेरल्ड लास्की के शब्दों में, "समानता मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रथमतः समानता का अर्थ विशेषाधिकारों के आभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों का विकास हेतु पर्याप्त अवसर होना चाहिए।" साधारणतः समानता का अर्थ जन्म से समान होना, अतः व्यक्तियों को व्यवहार और आमदनी का समान अधिकार होना चाहिए। परन्तु प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान शक्तियॉ नहीं दी है, कुछ लम्बे, कुछ मोटे, कुछ पतले, कुछ मन्द बुद्वि तथा कुछ कुशाग्र बुद्वि के व्यक्ति होते हैं। इसे प्रायः प्राकृतिक असमानता कहते हैं जिसका निराकरण संभव और उचित नहीं है। राजनीतिशास्त्र में प्रयुक्त समानता की धारणा का वास्तविक प्रतिपादन फ्रांस में 1789 की राज्य क्रांति में मनुष्य के अधिकारों के घोषणापत्र में कहा गया कि – "मनुष्य समान और स्वतंत्र पैदा हुए हैं वे अपने अधिकारों के विषय में भी समान एवं स्वतंत्र हैं।" इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता संबंधी घोषणा पत्र में इस बात को एक अटल सत्य के रूप में स्वीकार किया कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है।

समानताः अर्थ सही एवं भ्रममूलक

रूसो के अनुसार समाज में दो प्रकार की असमानताएॅ हैं –

1. प्राकृतिक और
2. परम्पराओं पर आधारित।

प्रकृति द्वारा प्रदान की गई असमानता का निराकरण संभव नहीं है, जबकि समाज द्वारा खड़ी की गई असमानताओं का निराकरण संभव है, अतः इन्हीं असमानताओं को दूर किया जाना ही समानता है। समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी को हर दृष्टि से समान समझा जाय। इसका अर्थ समरूपता या एकरूपता नहीं और इसका अर्थ सम्पूर्ण समानता भी नहीं है। समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों को समाज में अपने व्यक्तिव का विकास का समान अवसर प्राप्त हो। समानता व्यक्तिगत नहीं समाजिक होनी चाहिए।

लास्की के अनुसार समानता के निम्नलिखित अर्थ हैं –

1. समाज में सारे विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं का अन्त।
2. समाज के सभी दरवाजे, सभी व्यक्यिों के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए। पैत्रिक तथा वंशानुगत परिस्थितियों के कारण स्थापित असमानताएँ अनुचित है।
3. सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेद भाव के समान अवसर प्राप्त हो ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विकास एवं आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके।
4. समाज में आर्थिक व सामाजिक शोषण का अन्त हो।

समानता के विभिन्न प्रकार (Different Forms of Equality)

1. **प्राकृतिक समानता** – इसका अभिप्राय जन्म से सभी मनुष्यों को प्रकृति ने समान बनाया है। रंग, रूप, आकृति तथा बुद्वि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भले ही अलग हो परन्तु इन विभिन्नताओं के बाबजूद नैतिक दृष्टि से मनुष्य समान होते हैं। समाज में फैली असमानताएँ मनुष्य द्वारा फैलायी गई है।
2. **सामाजिक असमानता** – सामाजिक समानता का अर्थ समाज में समान अधिकार है। सभी व्यक्ति समाज की एक इकाई हैं। जन्म, जाति, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। भारत में जाति–प्रथा, अस्पृश्यता, अमेरिका और कुछ अफ्रीकों देशों में काले–गोरे का भेदभाव सामाजिक विषमता का पर्याय है। इससे समाज का विकास रूक जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में सामाजिक समानता संबंधी व्यवस्था की है तथा अस्पृश्यता को अवैद्य करार दिया गया है।

3. **राजनीतिक समानता** – इसका अर्थ समान राजनीतिक अधिकारों का प्राप्त होना। वोट देना, पद के लिए उम्मीदवार होना तथा सरकारी पद प्राप्त करना, लोक व्यवस्था की प्रंशसा या आलोचना करने का अधिकार होना राजनीतिक समानता कहलाती है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म–स्थान, वेश आदि के आधार पर नागरिकों के बीच राजनीतिक अधिकारों के संबंध में किसी प्रकार का विभेद या पक्षपात नहीं होना चाहिए क्योंकि राजनीतिक समानता शासन–व्यवस्था की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्ते है।
4. **कानूनी या नागरिक समानता** – नागरिक समानता का अर्थ है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को वंश, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव किये बिना समान रूप से नागरिक अधिकार प्रदान करे। अर्थात् सभी नागरिक समान हैं। हर नागरिक को जीवन, व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण, सभा आदि के उपयोग का समान अधिकार प्राप्त है और राज्य के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं।
5. **आर्थिक समानता** – आर्थिक समानता मार्क्सवादी विचारधारा की देन है और समाजवादी पद्वति की विचारधारा है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि समाज में उत्थान और सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण हो, जिससे समाज के किसी एक वर्ग के हाथ में सारा धन अथवा सारी सम्पत्ति एकत्र न हो जाये। वास्तविक आर्थिक समानता का अर्थ है कि सभी को आजीविका कमाने के समान अवसरों का उपस्थित होना। समाज के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं– भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति होनी चाहिए। शोषण रहित सम्पत्ति का बॅटवारा हो। पारिश्रमिक का आधार योग्यता होनी चाहिए। लास्की के अनुसार – "मुझे मक्खन और पनीर खाने का कोई हक नहीं है, अगर मेरे पड़ोसी को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है।"

स्वतंत्रता और समानता में संबंध

आर्थिक समानता के आभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पना मात्र है क्योंकि आर्थिक समानता लोकतंत्र की सफलता की एक अनिवार्य शर्त्त है। किसी भी समाज का सही विकास तभी हो सकता है, जब उसके सदस्यों के बीच न्यूनतम आर्थिक समानता प्राप्त है। आर्थिक असमानता, सामाजिक वैभव तथा सामाजिक विकास का प्रबल शत्रु है। इस बारे में मैथ्यू आरनाल्ड ने कहा है, "असमानता धनिक वर्ग को वैभव देती है, मध्यम वर्ग

को बुरा बनाती है तथा निम्न वर्ग को असभ्य बनाती है।" समानता के सिद्वांत के कार्यरूप के लिए मुक्त प्रतियोगिता की अर्थव्यवस्था पर आधारित मुक्त मानव व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। जब तक राष्ट्रीय सम्पत्ति का पुनः वितरण नहीं होता इस राष्ट्र के वास्तविक अर्थ में राजनीतिक समानता नहीं हो सकती।

स्वतंत्रता और समानता दोनों फ्रांस की क्रांति की देन है। स्वतंत्रता और समानता किसी भी शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है। इस संबंध में दो प्रकार की विचारधारा है एक कि स्वतंत्रता समानता परस्पर विरोधी है। इसके प्रवर्तक लॉर्ड एक्टन तथा डी.टाकविले हैं, जो कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है जबकि समानता प्रकृत्ति की देन है। समानता स्वतंत्रता पर मर्यादा या बंधन डालती है। मनुष्य प्राकृतिक रूप में असमान जन्म लेता है। स्वभाव, शक्ति और क्षमता में मनुष्यों में पारस्परिक असमानता रहती है।

पुनः दूसरे विचारधारा के लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर शत्रु नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं तथा समानता स्वतंत्रता की आधारशिला है। प्रो0 पोलार्ड ने कहा है कि, "स्वतंत्रता की समस्या का निराकरण समानता में निहित है।" सामाजिक स्वतंत्रतावादी रूपों ने भी कहा था कि समानता के बिना स्वतंत्रता का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। आर.एच.टॉनी ने कहा है कि, "समानता की एक बडी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है।" उपर्युक्त में भी कहा गया है कि आर्थिक या सामाजिक समानता के आभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं रह सकती। समाज में यदि ऊॅच–नीच, और अमीर–गरीब के बीच खाई बनी रहेगी, तो शासन व्यवस्था कभी अच्छी तरह काम नहीं कर सकती। आर्थिक समानता का आशय यह है कि व्यक्तियों की आय में बहुत अधिक विषमता या असमानता नहीं होनी चाहिए।

निष्कर्षः– इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समानता के रहने पर ही समाज के नागरिक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। समानता की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता, स्वच्छन्दता का रूप ले लेती है और स्वतंत्रता के आभाव में समानता शुष्क एकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहती। दोनों का एक ही लक्ष्य है, वह है मानव के व्यक्तित्व का

विकास करना। अतः दोनों का समान प्रभाव आवश्यक है, अतः स्वतंत्रता और समानता एक–दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।